लेजिस्लेटर्स के लिए एक यूनिवर्सल कोड ऑफ़ एथिक्स: कानून वकीलों से क्या मांगता है, इससे कानून बनाने वालों को प्रेरणा मिलनी चाहिए

एंडी जे. सेमोटियुक द्वारा

CEED
JUN 15, 2026

नैतिकता कोर्ट के दरवाज़े पर नहीं रुकनी चाहिए—जो लोग कानून बनाते हैं, उनसे ईमानदारी, जवाबदेही और जनता के भरोसे के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड की उम्मीद की जानी चाहिए।

सभी अधिकार क्षेत्रों में—चाहे कनाडा हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूनाइटेड किंगडम हो, या यूरोपियन यूनियन हो—वकील अच्छी तरह से बने एथिकल कोड से बंधे होते हैं। ये नियम काबिलियत, ईमानदारी, आज़ादी, क्लाइंट्स के प्रति वफ़ादारी, ट्रिब्यूनल के प्रति साफ़गोई और खुद कानून के राज को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी की मांग करते हैं।

फिर भी एक अजीब सी असमानता बनी हुई है: जो लोग कानून की *प्रैक्टिस* करते हैं, उन पर सख्ती से कंट्रोल होता है; जो इसे *बनाते* हैं, उन पर अक्सर ऐसा नहीं होता।

लेजिस्लेटर्स के पास कहीं ज़्यादा पावर होती है। वे उन नियमों को बनाते हैं जो पूरे समाज को चलाते हैं। और फिर भी, कई डेमोक्रेसी में, उनकी एथिकल ज़िम्मेदारियां साफ़ नहीं हैं, उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता, या राजनीतिक रूप से मैनिपुलेट किया जाता है।

अगर हम वकीलों से कोर्ट के ऑफिसर और न्याय के रखवाले के तौर पर काम करने की उम्मीद करते हैं, तो हमें लेजिस्लेटर्स से कम से कम उतनी ही—अगर ज़्यादा नहीं तो—उम्मीद करनी चाहिए।

आगे एक प्रस्तावित **लेजिस्लेटर्स के लिए यूनिवर्सल कोड ऑफ़ एथिक्स** है, जो मौजूदा कानूनी नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित है और डेमोक्रेटिक शासन की वास्तविकताओं के हिसाब से है।

---

1. कानून के राज के प्रति ड्यूटी

वकीलों से यह उम्मीद की जाती है कि वे कानून के राज को बनाए रखें, भले ही यह क्लाइंट के हितों के खिलाफ हो।

लेजिस्लेटर्स के लिए और भी ऊंचे स्टैंडर्ड होने चाहिए: उन्हें ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए, उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए, या उन्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस, या फंडामेंटल राइट्स को कमजोर करते हों।

यह प्रिंसिपल पहले से ही अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल शपथ और इंटरनेशनल नॉर्म्स (जैसे, वेनिस कमीशन के स्टैंडर्ड्स) में दिखता है। लेकिन इसे अक्सर बाइंडिंग के बजाय सिंबॉलिक माना जाता है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर्स को ऐसे उपायों का सपोर्ट करने से मना करना चाहिए जो जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का उल्लंघन करते हैं या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स को कमजोर करते हैं।

---

2. ईमानदारी और ईमानदारी का कर्तव्य

वकील कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते या बेईमानी नहीं कर सकते।

फिर भी लेजिस्लेटर अक्सर बिना किसी नतीजे के जानबूझकर झूठे पब्लिक बयान देते हैं।

कुछ इलाकों में मौजूदा पार्लियामेंट्री नियम "हाउस को गुमराह करने" पर रोक लगाते हैं, लेकिन इसे लागू करना बहुत कम होता है और अक्सर एकतरफ़ा होता है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर को लेजिस्लेटिव बहसों, पब्लिक बयानों या ऑफिशियल कम्युनिकेशन में जानबूझकर गलत तथ्य नहीं बताने चाहिए। जानबूझकर धोखा देने पर ज़रूरी सज़ा मिलनी चाहिए।

---

3. काबिलियत की ड्यूटी

वकीलों को काबिल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जिसका मतलब है कि उन्हें अपने काम से जुड़े कानून और फैक्ट्स को समझना चाहिए।

इसके उलट, लेजिस्लेटर अक्सर ऐसे मुश्किल कानून पर वोट करते हैं जिन्हें उन्होंने पढ़ा या समझा नहीं होता।

हालांकि पॉलिटिकल सिस्टम में लेजिस्लेटर का वकील होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनसे सोच-समझकर फैसला लेने की ज़रूरत होती है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर को उन कानूनों के कंटेंट, मतलब और नतीजों को समझने की सही कोशिश करनी चाहिए जिनका वे सपोर्ट या विरोध करते हैं। अंधाधुंध पार्टीबाज़ी अज्ञानता का बचाव नहीं है।

---

4. पब्लिक इंटरेस्ट के प्रति लॉयल्टी की ड्यूटी

वकीलों का अपने क्लाइंट्स के प्रति लॉयल्टी का फ़र्ज़ होता है। लेजिस्लेटर्स, थ्योरी के हिसाब से, पब्लिक के प्रति लॉयल्टी के फ़र्ज़ होते हैं।

हालांकि, पार्टी डिसिप्लिन, डोनर का असर और पर्सनल एम्बिशन अक्सर उस ड्यूटी को बिगाड़ देते हैं।

कई ज्यूरिस्डिक्शन में कॉन्फ्लिक्ट-ऑफ-इंटरेस्ट सिस्टम होते हैं, लेकिन वे अक्सर छोटे और रिएक्टिव होते हैं।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर्स को पब्लिक इंटरेस्ट को पर्सनल, फाइनेंशियल या पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर रखना चाहिए। इसमें असली कॉन्फ्लिक्ट और गलत काम के दिखने, दोनों से बचना शामिल है।

---

5. आज़ादी की ड्यूटी

कानूनी नैतिकता गलत असर से आज़ादी पर ज़ोर देती है—चाहे वह क्लाइंट, सरकार या थर्ड पार्टी से हो लेजिस्लेटर्स पर लॉबिस्ट, डोनर और पार्टी लीडरशिप का लगातार दबाव रहता है।

हालांकि लॉबिंग डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक कानूनी हिस्सा है, लेकिन बिना देखे असर नहीं है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर्स को गलत बाहरी दबावों से आज़ादी से काम करना चाहिए और अपने फैसले लेने पर पड़ने वाले ज़रूरी असर का खुलासा करना चाहिए, जिसमें लॉबिंग कॉन्टैक्ट और फाइनेंशियल रिश्ते शामिल हैं।

---

6. ट्रांसपेरेंसी की ड्यूटी

वकीलों को सही रिकॉर्ड रखने चाहिए और कई मामलों में, क्लाइंट और कोर्ट को ज़रूरी जानकारी देनी चाहिए।

लेजिस्लेटर पब्लिक स्फीयर में काम करते हैं और उनसे ऊँचे ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड की उम्मीद की जानी चाहिए।

कई अधिकार क्षेत्रों में पहले से ही फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये अक्सर अधूरे होते हैं या इन्हें समझना मुश्किल होता है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर को फाइनेंशियल हितों, गिफ्ट, लॉबिंग इंटरैक्शन और संभावित झगड़ों के बारे में साफ, आसानी से मिलने वाला और समय पर डिस्क्लोजर देना चाहिए।

---

7. जवाबदेही की ड्यूटी

वकीलों पर प्रोफेशनल बॉडीज़ डिसिप्लिन करती हैं। उन्हें सज़ा दी जा सकती है, सस्पेंड किया जा सकता है, या डिबार किया जा सकता है।

हालांकि, लेजिस्लेटर्स अक्सर सिर्फ़ बैलेट बॉक्स में ही जवाबदेह होते हैं—यह एक ऐसा तरीका है जो एथिकल उल्लंघनों को सुलझाने के लिए बहुत सीधा और कभी-कभार ही इस्तेमाल होता है।

एथिक्स कमिश्नर और पार्लियामेंट्री कमेटियां होती हैं लेकिन अक्सर उनमें आज़ादी या लागू करने की पावर की कमी होती है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर्स को एथिकल उल्लंघनों की जांच करने और उन्हें सज़ा देने के लिए असली अधिकार वाली इंडिपेंडेंट, बिना किसी पार्टी के निगरानी करने वाली बॉडीज़ के अधीन होना चाहिए।

---

8. सम्मान और तहज़ीब की ड्यूटी

कोर्ट में तहज़ीब की ज़रूरत होती है। जो वकील गलत या परेशान करने वाला काम करते हैं, उन्हें नतीजे भुगतने पड़ते हैं।

इसके उलट, कानूनी संस्थाओं में तहज़ीब में लगातार कमी देखी गई है, जिसका इनाम अक्सर मीडिया का ध्यान और राजनीतिक फ़ायदा होता है।

हालांकि मज़बूत बहस ज़रूरी है, लेकिन बातचीत में गिरावट से लोगों का भरोसा कम होता है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: विधायकों को सम्मान के साथ, तथ्यों पर आधारित बहस करनी चाहिए और पर्सनल हमलों, नफ़रत फैलाने वाली बातों, या ऐसे कामों से बचना चाहिए जिनसे संस्था की गरिमा कम हो।

---

9. पावर का गलत इस्तेमाल न करने की ड्यूटी

वकीलों को गलत मकसद के लिए कानूनी प्रोसेस का इस्तेमाल करने से मना किया गया है।

हालांकि, लेजिस्लेटर्स पार्टी के फायदे के लिए प्रोसिजरल टूल्स, इमरजेंसी पावर्स, या लेजिस्लेटिव लूपहोल्स का फायदा उठा सकते हैं।

उदाहरणों में गेरीमैंडरिंग, इमरजेंसी कानून का गलत इस्तेमाल, या कानून बनाकर राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करना शामिल है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर्स को अपने अधिकार का इस्तेमाल पावर पर कब्ज़ा करने, विपक्ष को दबाने, या निजी या पार्टी के फायदे के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हेरफेर करने के लिए नहीं करना चाहिए।

---

10. अधिकारों और माइनॉरिटीज़ की रक्षा करने की ड्यूटी

लीगल एथिक्स न्याय के लिए बड़ी ड्यूटीज़ को मानती है, जिसमें फेयरनेस और अधिकारों का सम्मान शामिल है।

अधिकारों के माहौल को बनाने में लेजिस्लेटर्स की सीधी भूमिका होती है। फिर भी इतिहास दिखाता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा को रौंद सकती है—और करती भी है।

इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क पहले से ही राज्यों पर ज़िम्मेदारियाँ डालते हैं, लेकिन अलग-अलग लेजिस्लेटर्स को शायद ही कभी पर्सनली ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर्स को यह पक्का करना चाहिए कि कानून फंडामेंटल राइट्स का सम्मान करें और लोगों या ग्रुप्स के साथ गलत भेदभाव न करें।

---

11. देखभाल की ड्यूटी

वकील अपने क्लाइंट के हितों के कस्टोडियन होते हैं। लेजिस्लेटर पब्लिक इंस्टीट्यूशन के कस्टोडियन होते हैं।

इसमें फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी, लॉन्ग-टर्म प्लानिंग और डेमोक्रेटिक नियमों को बनाए रखना शामिल है।

शॉर्ट-टर्म पॉलिटिकल फ़ायदा अक्सर लॉन्ग-टर्म इंस्टीट्यूशनल नुकसान की ओर ले जाता है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर को पब्लिक रिसोर्स और इंस्टीट्यूशन के स्टीवर्ड के तौर पर काम करना चाहिए, और तुरंत के पॉलिटिकल फ़ायदे के बजाय लॉन्ग-टर्म समाज की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए।

---

12. लगातार नैतिक जागरूकता की ड्यूटी

कानूनी प्रोफेशनल्स को नैतिक स्टैंडर्ड्स पर लगातार एजुकेशन और सोच-विचार में शामिल होना ज़रूरी है।

लेजिस्लेटर्स को ऑफिस संभालने के बाद शायद ही कभी स्ट्रक्चर्ड एथिक्स ट्रेनिंग मिलती है।

प्रस्तावित स्टैंडर्ड: लेजिस्लेटर्स को रेगुलर एथिक्स ट्रेनिंग लेनी चाहिए और अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इन प्रिंसिपल्स के प्रति अपनी कमिटमेंट को फिर से पक्का करना चाहिए।

कानून और कानून बनाने के बीच के अंतर को कम करना

इस अजीब बात को नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है: जो लोग कोर्ट में केस लड़ते हैं, उनसे उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा कड़े नैतिक स्टैंडर्ड की उम्मीद की जाती है जो उन कानूनों को लिखते हैं जिनका कोर्ट मतलब निकालता है।

यह अंतर सिर्फ़ एकेडमिक नहीं है। इसके असली नतीजे हैं—लोगों का भरोसा कम होना, पोलराइजेशन, करप्शन, और आखिर में, डेमोक्रेटिक गिरावट।

ऊपर बताए गए कई सिद्धांत पहले से ही अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में अलग-अलग रूप में मौजूद हैं: कॉन्फ्लिक्ट-ऑफ-इंटरेस्ट कानून, डिस्क्लोजर की ज़रूरतें, पार्लियामेंट्री नियम, और संवैधानिक शपथ।

लेकिन उनमें तालमेल, एक जैसापन, और सबसे ज़रूरी, लागू करने की क्षमता की कमी है।

एक यूनिवर्सल कोड गलत कामों को खत्म नहीं करेगा। लेकिन यह एक साफ़ बेंचमार्क तय करेगा—जो पॉलिटिकल सिस्टम और कल्चरल मतभेदों से ऊपर होगा, और उन्हीं बुनियादी मूल्यों पर आधारित होगा जो लीगल प्रोफेशन को गाइड करते हैं। इसकी ज़रूरत पश्चिमी डेमोक्रेसी में उतनी ही है जितनी रूस, यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन में है।

अगर वकीलों से न्याय करने की उम्मीद की जाती है, तो लेजिस्लेटर से भी उम्मीद की जानी चाहिए कि वे इसे *अपनाएं*।

स्टैंडर्ड आसान होना चाहिए: जो लोग कानून बनाते हैं, वे कम से कम उतने ही नैतिक होने चाहिए जितने कि उसे मानने वाले।

इससे कम कुछ भी एक ऐसा रिस्क है जिसे कोई भी डेमोक्रेटिक समाज नहीं उठा सकता।

एंडी जे. सेमोटियुक फोर्ब्स के कंट्रीब्यूटर हैं जिनके आर्टिकल पिछले 10 सालों में दस लाख से ज़्यादा लोगों ने पढ़े हैं। उन्होंने पहले न्यूयॉर्क में U.N. कॉरेस्पोंडेंट के तौर पर काम किया, जो कनाडा में साउथम न्यूज़ और दूसरे न्यूज़ आउटलेट्स से जुड़े थे। तीन साल तक, उन्होंने कैनेडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के ट्रिब्यूनल पैनल में काम किया। वह कनाडा-यूक्रेन फाउंडेशन के पहले प्रेसिडेंट थे और अभी टोरंटो में सेंटर फॉर ईस्टर्न यूरोपियन डेमोक्रेसी के सीनियर एडवाइजर हैं। उन्होंने लॉस एंजिल्स में 10 साल तक लॉ की प्रैक्टिस की और टोरंटो लौटने से पहले 5 साल न्यूयॉर्क में काम किया, जहाँ अब वह पेस लॉ फर्म के साथ U.S. और कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ की प्रैक्टिस करते हैं।